अपील सूचना अधिकार संख्या 53/2016 अनवानी रोहित वर्मा, 30–31 रोहित उद्योग पैलेस, राष्ट्रीय उच्च मार्ग, रामदेव मंदिर के सामने, श्रीगंगानगर बनाम लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्र0), श्रीगंगानगर

30–08–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री रोहित वर्मा उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री श्री रोहित वर्मा ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 14.12.2015 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर से निम्न सूचनाएं चाही थीः–

1. जिला कलक्टर श्री पी.सी. किशन के पदभार ग्रहण करने के दिन से इस प्रार्थना पत्र का जबाब देने तक नये आर्मस लाईसेन्स दिये जाने की कुल संख्या की सूचना व उनके नाम व पता की सूचना व दिनांक जारी करने की सूचना।
2. नामनन्तरण, हस्तानान्तरण व नवीनीकरण किये गये आर्मस लाईसेंसो की सूचना व उनके नाम व पते की सूचना व जारी करने की तिथि की सूचना।
3. वर्तमान जिला कलक्टर श्री पीसी किशन से पूर्व पद स्थापित जिला कलक्टर श्री आर.एस. जाखड के पद स्थापित के दौरान, नये आर्मस लाईसेंस नवीनीकरण व नमान्तरण व हस्तान्तरण किये गये एवं उनके नाम, पता व तिथि की सूचना।
4. नए आर्म्स लाईसेंस नवीनीकरण, हस्तानान्तरण पर राज्य सरकार द्वारा जो आदेश उपरोक्त अधिकारियों के पर स्थापन के दौरान जारी किये गये है उसकी सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
5. नये लाईसेंस जारी करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जारी नियम की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि नियम की।
6. नये आर्म्स आवेदन के संबंधप में जो औपचारिकताएं पूर्ण करनी पडती है मय दस्तावेज सलंग्न करने सहित उनकी सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
7. नये आर्मस लाईसेंस जारी करने के सम्बन्ध में प्राथमिकता पाने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में सूचना व नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि।
8. 12–12–15 तक लम्बित नए आमर्स लाईसेंस लेने हेतु दिये गये आवेदको के नाम व पूर्ण पता एवं आर्मस लाईसेंस जारी न किये जाने के नियम की सूचना व नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि।
9. आर्मस लाईसेंस जारी करने के सम्बन्ध में कार्यो की निष्पादन करने वाले कर्मचारी/अधिकारी का नाम व पद की सूचना।

अपीलार्थी ने यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत इस आधार पर प्रस्तुत की गयी हैं कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 14.12.15 के द्वारा 9 बिन्दुओ की सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर से चाही थी जो उनके द्वारा उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाये जाने का आदेश प्रदान किया जावे एवं एवं दोषी कर्मकारो के विरूद्ध कार्यवाही की जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर अतिरिक्त जिला मजि0 श्रीगंगानगर ने अपना प्रतिवेदन संख्या 2658 दिनांक 24.04.17 के साथ पत्र सं0 442 दिनांक 19.01.16 प्रमाणित प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत चाही गई सूचना उनके कार्यालय के पत्र सं0 442 दिनांक 19.01.2016 के द्वारा उपलब्ध करवाई जा चुकी है।

अतिरिक्त जिला मजि0 श्रीगंगानगर ने अपने पत्र सं0 442 दि0 19.01.16 के द्वारा अपीलार्थी को निम्नानुसार सूचना उपलब्ध करवाई गई हैः–

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कंसं	बिन्दु	जवाब
1.	मौजूदा जिला श्री पीसी किशन के कार्यभार ग्रहण करने के दिन से 10.01.2016 की अवधि में कितने नए आर्म्स लाईसेंस दिए जाने की कुल संख्या की सूचना व उनके नाम व पता की सूचना व दिनांक जारी करने की सूचना।	बिन्दू सं. 1 से 9 तक चाही गई सूचना के संबंध में लेख है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना से तात्पर्य विभाग में संधारित है। प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र दिनांक 16.12.2011 के अनुसार लोक सूचना अधिकार द्वारा सूचना सर्जित करना सूचना के अधिकार के दायरे में नही आता सूचना उसी रूप में दी जा सकती है जिस रूप में विभाग में सधांरित हो। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र 10 जुलाई 2009 के अनुसार सूचना उसी रूप में प्रदान की जा सकती है जिस रूप में प्राधिकारण के पास उपलब्ध तथ्यों को खोजकर खोजे गये तथ्यों को संकल कर नई सूचना बनाकर दिया जाना सूचना का अधिकार के अन्तर्गत नही आता है। अतः आप द्वारा चाही गई सूचना विस्तृत है। जिसे उपलब्ध करवाने में लोकप्राधिकरण के संसाधनो का अनुपातिक रूप से विचलन होता है। अतः धारा 7(9) के तहत सूचना उपलब्ध नही कराई जा सकती है। आपको किसी विशिष्ट अभिलेख की प्रति की आवश्यकता है तो पूर्ण विशिष्टया प्रस्तुत कर प्राप्त कर सकते है अथवा निरीक्षण कर सकते है।
2.	नामनन्तरण, हस्तानान्तरण, व नवीनीकरण किये गये आर्मस लाईसेंस की सूचना व उनके नाम व पते की सूचना व जारी करंने की तिथि की सूचना।	
3.	श्री पीसी किशन से पूर्व जिला कलक्टर श्री आरएस जाखड के पद स्थापित के दौरान, नये आर्मस लाईसेंस नवीनीकरण वं नमान्तरण व हस्तान्तरण किये गये एवं उनके नाम, पता व तिथि की सूचना। कार्यकाल में कुल कितने नए आर्म्स लाईसेंस दिए गए, कितनों का नवीनीकरण, कितनो का हस्तांतरण (नामांतरण) किया गया था? सभी के नाम, पतों सहित पूर्ण विवरण उपलब्ध कराने का कष्ट करे।	
4.	नए आर्म्स लाईसेंस नवीनीकरण, हस्तानान्तरण पर राज्य सरकार द्वारा जो आदेश उपरोक्त अधिकारियों के पर स्थापन के दौरान जारी किये गये है उसकी सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।	
5.	नये लाईसेंस जारी करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जारी नियम की सूचना व नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि।	
6.	नये आर्म्स लाईसेंस के सम्बन्ध में जो औपचारिकताएं पूर्ण करनी पडती है। मय दस्तावेज सलंग्न करने सहित उनकी सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।	
7.	नये आर्मस लाईसेंस जारी करने के सम्बन्ध में प्राथमिकता पाने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में सूचना व नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि।	
8.	12 दिसम्बर, 2015 तक लम्बित नए आमर्स लाईंसेंस लेने हेतु दिये गये आवेदको के नाम व पूर्ण पता एवं आर्मस लाईसेंस जारी न किये जाने के नियम की सूचना व नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि।	
9	आर्मस लाईसेंस जारी करने के सम्बन्ध में कार्यो की निष्पादन करने वाले कर्मचारी/अधिकारी का नाम व पद की सूचना।	

अपीलार्थी द्वारा जो सूचनांए चाही गई है वह काफी विस्तृत है और कार्यालय कार्य को प्रभावित करने वाली है एवं चाही गई गई सूचनांए कोई निश्चित सूचनांए नही है एवं प्रश्नात्मक रूप में है। जिस कारण लोक सूचना अधिकारी द्वारा धरा 7(9) के अन्तर्गत सूचनांए उपलब्ध नही करवाई गई है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।** इस प्रकार अतिरिक्त जिला मजि0 श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उक्त उत्तर दिनांक 19.01.16 सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

सा/
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला मजि0 श्रीगंगानगर व अपीलार्थी को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 30.08.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर